PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Sun, 21 May 2017, Page 10
Width: 43.93 cms, Height: 20.39 cms, a3r, Ref: 33.2017-05-21.105

उपेन्द्र राय

करों के जंजाल से मुक्त होगा राष्ट्र

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स को लेकर जीएसटी काउंसिल ने श्रीनगर में टैक्स दरों पर व्यापक सहमति का बड़ा ऐलान किया है। एक जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू होने जा रही है जिससे पहले यह सहमति जरूरी थी। जीएसटी काउंसिल में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। श्रीनगर की बैठक में यह तय कर लिया गया कि किन वस्तुओं पर कितना टैक्स लगेगा। 1205 वस्तुओं या सेवाओं पर जीएसटी की अलग-अलग स्लैब दरों के अनुरूप ये दरें तय की गई हैं। श्रीनगर से जीएसटी की दरों की इस लिस्ट का एलान दूरगामी राजनीतिक निहितार्थ भी रखता है। विशेष राज्य का दर्जा हासिल रखने वाले जम्मू-कश्मीर से इस ऐलान को यह संकेत देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अब 'एक देश, एक कर, एक बाजार' का वक्त है।

श्रीनगर से दुनिया को भी संकेत देने की कोशिश की गई है कि जम्मू-कश्मीर जीएसटी की पहल को स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह समूचा भारत जीएसटी पर एकमत है। यानी दुनिया को भारत के रूप में एक बड़ा बाजार तैयार होकर मिलने जा रहा है, जहां कर संबंधी दुविधाएं इतिहास हो जाएंगी। व्यापार के लिए अनुकूल माहौल होगा। इसलिए विदेशी निवेशक कम से कम जोखिम लेकर निवेश कर सकेंगे। जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था में गेमचेंजर के रूप में देखा जा रहा है। मोदी सरकार की यह बड़ी उपलब्धियों में एक है कि इसने 17 साल से चल रही जीएसटी पर रायशुमारी को सर्वसम्मति में बदल डाला।

कांग्रेस कह सकती है कि यह उसकी पहल है, लेकिन इसको अंजाम तक पहुंचाने में इच्छाशक्ति के मामले में मोदी सरकार ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को मात दे दी है। जीएसटी 'एक देश, एक कर, एक बाजार' के सपने को पूरा करेगा। यह केंद्र और राज्यों के 17 से ज्यादा अप्रत्यक्ष करों के बदले इकलौता कर होगा। अलग-अलग राज्यों में वस्तुओं की कीमतें अब अलग-अलग नहीं होंगी। यह दर एक समान होगी। न सिर्फ खरीददारों के लिए, बल्कि दुकानदारों के लिए भी अब समूचा भारत एक बाजार होगा। यही जीएसटी का खास आकर्षण है। चावल, गेहूं जैसे अनाज कुछ राज्यों में सस्ते हो सकते हैं, जहां अलग से वैट लगाए जाते रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें जैसे टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल महंगी होंगी। दूध, दही जैसी आवश्यक वस्तुएं टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगी, इसलिए इनकी कीमत पर

कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता, दवा, चाय, चीनी जैसी चीजों के दामों में पांच से 12 फीसद का फर्क पड़ेगा। कोयला सस्ता होगा, जिससे बिजली उत्पादन के साथ-साथ इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। 1205 वस्तुओं की जो सूची है जिसमें अलग-अलग दरें हैं, उन्हें देखकर साफ है कि इसका उपभोक्ताओं पर मिला-जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन, उम्मीद जगती है कि समूचा भारत जब एक बाजार के रूप में दिखाई देगा तो उससे कारोबार, सेवा, उत्पादन को बूस्ट मिलेगा। बिजनेस करने वालों को आसानी होगी क्योंकि उन्हें तरह-तरह के टैक्स से आजादी मिल जाएगी। इससे देश के पैमाने पर कर प्रणाली पारदर्शी हो जाएगी।

केंद्र और राज्य, दोनों जगह की सरकारें राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही हैं। इसकी एक वजह तो साफ है कि जीएसटी से लगभग 32 से 34 फीसद राजस्व हासिल होगा, जो पहले से लागू करों के योग से थोड़ा ज्यादा है। राजस्व में मामूली बढ़त का संकेत सामान्य गणित से भी मिलता है, लेकिन असली बढ़त तो उन उम्मीदों से है, जो जीएसटी के लागू होने के बाद कारोबार और अर्थव्यवस्था में मजबूती से जुड़ी हैं। इतना ही नहीं, टैक्स प्रक्रिया पारदर्शी होने से टैक्स की चोरी कम होने की भी उम्मीद की जा रही है। जाहिर है टैक्स की वसूली बढ़ेगी। इसके अलावा, नया टैक्स बेस तैयार होने की उम्मीद है जिससे सरकार की आमदनी में इजाफा होगा।

जीएसटी के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी होंगे। निर्यात बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा हुआ, तो विदेशी मुद्रा के रूप में देश को फायदा होगा। विदेशी मुद्रा भंडार एफडीआई से भी मजबूत होगा, जो भारत आने के लिए जीएसटी लागू होने का इंतजार कर रही हैं। जीएसटी से जिस सकारात्मक आर्थिक माहौल की उम्मीद की जा रही है, वह प्रचुर विदेशी निवेश से बंधा हुआ है। हालांकि सरकार जीडीपी ग्रोथ को लेकर अनुमान लगाए बैठी है कि 1.5 फीसद से लेकर 2 फीसद तक यह बढ़ सकती है, लेकिन इस बारे में जो अंतरराष्ट्रीय अनुभव हैं, उन पर एतबार करें तो ऐसा होना मुश्किल लगता है। 1990 से 2000 के बीच जिन देशों में जीएसटी लागू की गई थी, वहां जीडीपी में विकास दर में गिरावट देखने को मिली थी, और यह नकारात्मक तक हो गया था। सिंगापुर इसका बड़ा उदाहरण है, जिसने 1994 में जीएसटी लागू की थी। यहां जीएसटी लागू होने से पहले जीडीपी 5.5 फीसद थी, जो -3 फीसद तक लुढ़क गई। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मलयेशिया और सिंगापुर में जीएसटी लागू हो चुकी है।

एक अपशकुन यह भी है कि दुनिया में जहां कहीं भी जीएसटी लागू हुई है, वहां इसे लागू करने वाली सरकार दोबारा चुनकर नहीं आई है। इसकी वजह मूल रूप से जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई का बढ़ना और जीडीपी का 5 फीसद तक लुढ़क जाना तो कई देशों में नकारात्मक जीडीपी हो जाना रहा है। मतलब कि जीएसटी के बाद जनता परेशान रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी सरकार भी जीएसटी के नतीजे से अलोकप्रिय होकर सत्ता से बाहर हो जाएगी? विरोधी दलों के लिए ये बांछें खिलने वाली खबर हो सकती है, जिन्हें मोदी की लोकप्रियता के सामने कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। लेकिन, भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं को बीते दिनों में तोड़ा है। नोटबंदी जैसी पहल के बावजूद अर्थव्यवस्था में विकास दर को भारत ने बहुत ज्यादा प्रभावित होने नहीं दिया। अंतरराष्ट्रीय विद्वान जहां भारतीय अर्थव्यवस्था के रसातल में जाने की आशंका जता रहे थे, और इसका फायदा बाद में भारत को होने का अनुमान जता रहे थे, उनको कृषि और औद्योगिक उत्पादन ने रिकॉर्ड बनाकर झुठला दिया।

जाहिर है इसे लागू करने से पहले मोदी सरकार विश्वास से भरी हुई है। जनता को इसने मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। डिजिलिटाइजेशन और कैशलेस के पथ पर देश को अग्रसर कर जीएसटी की इसने तैयारी भी की है। ऐसे में चूंकि दुनिया में ऐसा हुआ है, इसलिए भारत में भी होगा-यह मान लेना मोदी सरकार की क्षमता को नकारने जैसा है। इस बात के पूरे आसार हैं कि जीएसटी को लेकर दुनिया के जो नकारात्मक अनुभव हैं, उन्हें भी भारत उलट देगा। इस तरह साफ दिख रहा है कि जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी और वह हमारी अर्थव्यवस्था में सुनहरा अध्याय लिखने जा रहा है।

(लेखक 'तहलका' के सीईओ एवं एडिटर इन चीफ हैं)

केंद्र और राज्य, दोनों जगह की सरकारें राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही हैं। इसकी एक वजह तो साफ है कि जीएसटी से लगभग 32 से 34 फीसद राजस्व हासिल होगा, जो पहले से लागू करों के योग से थोड़ा ज्यादा है। राजस्व में मामूली बढ़त का संकेत सामान्य गणित से भी मिलता है, लेकिन असली बढ़त तो उन उम्मीदों से है, जो जीएसटी के लागू होने के बाद कारोबार और अर्थव्यवस्था में मजबूती से जुड़ी हैं। इतना ही नहीं, टैक्स प्रक्रिया पारदर्शी होने से टैक्स की चोरी कम होने की भी उम्मीद की जा रही है जीएसटी के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी होंगे। निर्यात बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है